उत्तरांचल शासन
शहरी विकास/आवास विभाग

संख्या :2202/श0वि0आ0–03–52(सामान्य)/2003
देहरादूनः दिनांकः 04 सितम्बर, 2003

अधिसूचना

संशोधन

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 57 के खण्ड (क) एवं (ख)(ख) सपठित धारा 32 के अधीन अपराधों का शमन करने के मार्गदर्शन सिद्वान्त पुनः निर्धारित करने हेतु अधिसूचना संख्या – 767/आ/श0वि0/03–52(सा0)/03 दिनांक 24–5–03 द्वारा उत्तरांचल विकास प्राधिकरण (अपराधों का शमन) उपविधि 2003 निर्गत की गई थी। उक्त उपविधि में पुनः सम्यक् विचारोपरांत निम्नलिखित संशोधन किये जाने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(1) उत्तरांचल विकास प्राधिकरण (अपराधों का शमन) उपविधि 2003 के प्रस्तर 2(1)(घ) के स्थान पर निम्न प्रस्तर प्रतिस्थापित कर दिये जायेगें :–

(घ) " निर्माण जो महायोजना या परिक्षेत्रीय योजना मे निहित भू–उपयोग के विपरीत परन्तु निजी स्वामित्व की भूमि पर हो, अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार भू–उपयोग परिवर्तन स्वीकृत होने की दशा में शमनीय होगा। ऐसे प्रकरणो को सम्बन्धित प्राधिकरण स्वैच्छिक शमन योजना काल में एकत्र कर उनकी सूची, क्षेत्रफल एवं सजरा सहित प्रस्ताव यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध करायेगें " ।

(2) उपरोक्त उपविधि के प्रस्तर–2 (ख) विकसित क्षेत्र को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :–

(ख) विकसित क्षेत्र : "विकसित क्षेत्र में विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित/स्वीकृत योजनाओं का भू–खण्डीय विकास के अन्तर्गत आवासीय, व्यवसायिक, कार्यालय तथा अन्य भवनों में भू–आच्छादन के अतिरिक्त अग्र सैट बैक की निर्धारित गहराई के मार्ग की ओर से 75 प्रतिशत भाग को छोड़कर अन्य समस्त सैट–बैक में भू–खण्ड के कुल क्षेत्रफल का आवासीय की दशा में अधिकतम 20 प्रतिशत तथा व्यावसायिक, कार्यालय एवं अन्य भवनों की दशा में अधिकतम 10 प्रतिशत शमनीय होगा किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि आवश्यक मार्गाधिकार सीमा का किसी भी स्तर का अतिकमण शमन योग्य नहीं होगा और मार्गाधिकार के अतिकमण के ध्वस्तीकरण के उपरान्त ही प्रश्नगत शमन अनुमन्य होगा। इस प्रकार भवन निर्माण/अन्य उपविधियों में उल्लिखित अधिकतम

भू–आच्छादन से आवासीय भू–खण्डों की स्थिति में 20 प्रतिशत तथा व्यावसायिक, कार्यालय एवं अन्य उपयोग के भू–खण्डों की स्थिति में 15 प्रतिशत अतिरिक्त तक का आच्छादन अनुमन्य होगा।"

(3) उपरोक्त उपविधि के नियम–2 (ख)(5) ग्रुप हाउसिंग को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :–

5. ग्रुप हाउसिंग : ग्रुप हाउसिंग हेतु निर्धारित न्यूनतम क्षेत्रफल से अधिकतम 20 प्रतिशत कम क्षेत्रफल के भू–खण्ड पर जनसंख्या धनत्व की सीमा तक 20 प्रतिशत अधिक इकाईयो का निर्माण निर्धारित दरों पर इस प्रतिबन्ध के अधीन शमनीय होगा कि पहुंच मार्ग, अग्निशमन तथा भवन की भू–कम्पीय समस्याओं सहित अन्य समस्त अपेक्षायें पूर्ण करते हों।

(4) उपरोक्त उपविधि की अनुसूची के बिन्दु–5 कॉलम–4 (व्यवसायिक) में "भूमि के मूल्य का 75 प्रतिशत" के स्थान पर "भूमि के मूल्य का 125 " प्रतिस्थापित किया जाता है।

2. उत्तरांचल विकास प्राधिकरण (अपराधों का शमन) उपविधि 2003 उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझी जाये।

3. उत्तरांचल विकास प्राधिकरण (अपराधों का शमन) उपविधि 2003 के शर्ते/प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे ।

(पी0के0 महान्ति)
सचिव

संख्या :2202 (1)/श0वि0आ0–03 तददिनांक ।

प्रतिलिपि उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को शासकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें एवं 100–100 प्रतियां शासन को तथा सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(जी0बी0 ओली)
अनुसचिव

संख्या :2202(2)/श0वि0आ0–03 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।
2. हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार ।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, कैम्प कार्यालय, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार ।
5. प्रभारी अधिकारी, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
6. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(जी0बी0 ओली)
अनुसचिव